न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद
प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्याः 3913/2022
सविता **बनाम** श्यामलाल आदि
दिनॉकः 01.11.2022

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता का निस्तारण

आवेदिका सविता द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दण्ड प्रकिया संहिता प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि आवेदिका के परिवार वालो से उनके ही पडोसी तथा उनकी जाति के लोग दिनॉक 27.7.2022 को रात्रि लगभग 9 बजे पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण लाठी डण्डा तथा फरसा बल्लम लेकर गाली गुप्ता देते हुए दरवाजे पर चढ़ आये और जान से मारने की धमकी दे रहे थे तथा विपक्षीगण घर के अन्दर घुसकर आवेदिका व उसके परिवार वालों को मारपीट किया जिससे कई लोगो को चोटे आयी तथा सारे लोग घर गृहस्थी का सामान तोड़कर बर्बाद कर दिये तथा लाठी डण्डा व लात घूॅसों से मारापीटा और धमकी दिया कि कही शिकायत करोगे तो तुम्हे तथा तुम्हारे परिवार वालो को जान से मार देगे। श्यामलाल ने आवेदिका का ब्लाउज फाड़ दिया और उसे बेइज्जत करने के उद्देश्य से उसके शरीर पर अन्य कपड़े भी फाड़ दिये। विपक्षी श्यामलाल थाने पर चौकीदार है और उसका थाने पर अच्छा दबदबा है वह धमकी दिया कि तुम्हारे देवर रामआसरे को गायब करवाकर उसकी हत्या करवा दिये है। आवेदिका का देवर लगभग 20 वर्ष से गायब है आज तक उसका पता नही चला है कि वह जीवित है कि मर गया है। आवेदिका को पूरी शंका है कि विपक्षीगण ने उसके देवर की हत्या कर दिया है। आवेदिका ने घटना की सूचना थाना सोरांव में दिया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। उक्त आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग दर्ज कर विवेचना कराए जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदिका द्वारा विपक्षीगण पर दिनॉक 27.7.2022 को रात्रि 9 बजे घर पर हथियारों के साथ आकर गाली देने, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने, सामान तोड़ने, कपड़े फाड़ने का आरोप अभिकथित किया गया है। इसके अतिरिक्त 20 वर्ष पूर्व आवेदिका के देवर की हत्या का आरोप भी अभिकथित किया है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार पक्षकारान में पूर्व से रंजिश है तथा प्रार्थनापत्र में उल्लिखित घटना के संदर्भ में कोई अभियोग पंजीकृत नही है। प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्य संज्ञेय प्रकृति के अपराध के गठन को प्रकट करता है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। प्रभारी निरीक्षक, थाना सोरांव को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना करना सुनिश्चित करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इलाहाबाद।